संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)32/76—खण्ड—5—2839—2841
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

प्रेषक :

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

प्रेषित :

उप निदेशक,
जिला सैनिक कल्याण सोलन,
जिला सोलन हिमाचल प्रदेश
दिनांक 19.05.2016, शिमला—171009

विषय : **जिला सैनिक कल्याण सोलन की विभिन्न निधियों के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जिला सैनिक कल्याण सोलन की विशेष निधि, विश्राम गृह निधि सोलन, विश्राम गृह निधि परवाणु तथा झण्डा दिवस निधि के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—09

संलग्न : यथोपरि
पृष्ठांकन संख्या :— यथोपरि— दिनांक, शिमला—1710009
प्रतिलिपि :—

(1) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश
(2) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002
(3) जिलाधीश सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—09

जिला सैनिक कल्याण सोलन की सैनिक विश्राम गृह निधि के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। अतः अनिस्तांतरित अनुछेदों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए अन्यथा अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। गत अवधि के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1977 से 3/1980

1	पैरा 14	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1984

1	पैरा 4 (डी) तथा 6 (बी)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1986

1	पैरा 4 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987

1	पैरा 4 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (ई)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (एफ)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (सी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा 17	अनिर्णीत

9	पैरा 18	अनिर्णीत
10	पैरा 20	अनिर्णीत
11	पैरा 22	अनिर्णीत
12	पैरा 29 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा 29 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 29 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत
16	पैरा 31	अनिर्णीत
17	पैरा 33 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा 33 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 34 (क)	अनिर्णीत
20	पैरा 34 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 34 (ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 35 (क)	अनिर्णीत
23	पैरा 35 (ख)	अनिर्णीत
24	पैरा 35 (ग)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1997

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1997

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 12 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा 5	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करने पर पैरा समाप्त)
2	पैरा 4	निर्णीत	(पैरा वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित है तथा पुनः

प्रारूपित किया गया है)

3 पैरा 5 अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन की सैनिक विश्राम गृह निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 12/2013 और 11/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 10/2013 और 4/2014 माह का चयन किया गया। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्था में निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे।

पदाधिकारी का नाम	अवधि
श्री एससी सकलानी	4/2013 से 3/2015

3 अंकेक्षण शुल्क

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन के अन्तर्गत सैनिक विश्राम गृह निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 116, दिनांक 23.11.2015 द्वारा उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

जिला सैनिक कल्याण सोलन द्वारा प्रस्तुत संस्थान की विश्राम गृह निधि की अवधि 4/2013 से 3/2015 से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति (**परिशिष्ट–"क",** पृष्ठ संख्या 15 से 20 तक) निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"क"** पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	304228.18	130955.00	10470.00	445653.18	168256.00	277397.18
2014–15	277397.18	133606.00	10742.00	421745.18	145644.00	276101.18

5 बैंक समाधान विवरण

संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–"ख"** पर उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है।

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष	–	276101.18
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष (**परिशिष्ट–"ख"** पृष्ठ संख्या 11 व 12 पर संलग्न)	–	–
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष (**परिशिष्ट–"ख"** पर संलग्न)	–	–
	योग	**₹276101.18**

6 निवेश

(क) संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान **परिशिष्ट–"ख"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी अनुसार सावधि जमा में राशि निवेश नहीं की थी।

(ख) उचित वित्तीय प्रबन्धन करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय की ₹20756 से वंचित होना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विशेष फण्ड के बचत खातों में अत्याधिक राशि शेष पड़ी थी। यदि इस राशि को समय–समय पर उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इससे निम्न विवरणानुसार ब्याज के रूप में ₹20756 की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। अगर वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो ₹20756 की अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके संस्थान में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा निवेश किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पर पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सके तथा सरप्लस फण्ड्स का निवेश करते समय हि0प्र0 सरकार की पत्र संख्या फिनः आईएफ(ए)1–68/91–V, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आईएफ) दिनांक, शिमला–171002, 17.4.2014 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	वर्ष	31 मार्च को बचत खाते के अनुसार अन्तिम शेष ₹ (1)	स्तम्भ (1) में दर्शाई गई राशियों का 75 प्रतिशत भाग जोकि सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था ₹	5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि ₹ (लगभग)
1	2013–14	277397.18	208048	10402
2	2014715	276101.18	207076	10354
			कुल योग	**₹20756**

7 ठहराव शुल्क की ₹110 कम वसूली करना

चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार विश्राम गृह के आंगतुकों से ठहराव शुल्क की ₹110 कम वसूली की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹110 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

आंगतुक पंजिका पृष्ठ सं0	आंगतुक पंजिका की क्र0 सं0/कमरा सं0	तिथि/आने का समय	तिथि/जाने का समय	ठहराव शुल्क जितना वसूल किया गया ₹ (1)	ठहराव शुल्क जितना वसूल किया गया चाहिए था ₹ (1)	ठहराव शुल्क जितना कम वसूल किया गया ₹ (2–1)	टिप्पणी
62	322/ डोरमेट्री	26.10.14 /6.05pm	28.10.14 /8.30am	110 (75 किराया+20 गीजर चार्जिस+15 टीवी चार्जिस)	220 (150 किराया+40 गीजर चार्जिस+30 टीवी चार्जिस)	110	दो दिन के किराए एवं चार्जिस की जगह एक दिन का किराया एवं चार्जिस की वसूली की गई थी

8 विश्राम गृह के समक्ष वरांडे (Varabda) तथा (Lawn) के किराए की दरें निर्धारित न किए जाने बारे

चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा दीपावली के पर्व के समीप विश्राम गृह के सामने का बरांडा (Varabda) तथा लॉन (Lawn) किराए पर निजी फर्म (Mehul enterprisis, Solan) को दिया गया था तथा उनमें निम्नानुसार किराए की वसूली की थी।

क्र0 सं0	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	अवधि जिस दौरान वरांडा तथा लॉन किराए पर दिया गया	प्रतिदिन किराए की दर	फर्म से जितने किराए की वसूली की गई
1	124	27.10.13 से 3.11.13 तक	3300	28853 [26400 (किराया,3300x8दिन+2453 (बिजली के चार्जिस)]
2	135	20.10.14 से 24.10.14 तक	4000	20960

[20000 (किराया,4000x5दिन+960 (बिजली के चार्जिस)]

Rules for management of sainik rest houses के अनुसार पूरा विश्राम गृह (कमरों, हाल, वरांडा तथा लॉन सहित) केवल शादी के उद्धेश्यों हेतु Civilians को किराये पर दिए जाने की स्थिति में उनसे ₹6000 प्रति दिन की दर से किराए की वसूली की जानी अपेक्षित होती है, परन्तु उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत विश्राम गृह को शादी के अलावा अन्य उद्धेश्यों हेतु किराए पर दिए जाने का न तो कोई प्रावधान है तथा न ही विश्राम गृह का केवल वरांडा तथा लॉन किराए पर दिए जाने पर किराये की वसूली की दरें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। अतः यह मामला सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के सक्षम उठाकर विश्राम गृह के अन्य उद्धेश्यों हेतु किराए पर दिए जाने हेतु प्रावधान करवाने के साथ–साथ वरांडे तथा लॉन के किराए की दरों का निर्धारण भी करवाया जाए, ताकि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से किराए की वसूली की जा सके।

9 कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटित उपभवन के मासिक किराए की वसूली से सम्बन्धित दर निर्धारित न किए जाने बारे

चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को आवास हेतु सैनिक विश्राम गृह/कार्यालय के साथ स्थित उपभव (annexe) आवंटित की गई थी तथा उनसे ₹300 की दर से मासिक किराए की वसूली की जा रही थी, परन्तु अंकेक्षण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई भी कार्यालय आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें annexed के मासिक किराए से सम्बन्धित नवीनतम (Latest) दर निर्धारित की गई हो। अतः निर्धारित दर से अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इन कर्मचारियों से ₹300 मासिक किराए की वसूली के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक निर्देश/स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाएं तथा उसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	नाम	रसीद सं0/ दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	124	नितिन शर्मा (वरिष्ठ सहायक)	2620/2.12.13	300	किराया दिनांक 1.11.13 से 30.11.13 तक
2	124	प्रेम सिंह (लिपिक)	2621/2.12.13	300	किराया दिनांक 1.11.13 से 30.11.13 तक
3	135	नितिन शर्मा (वरिष्ठ सहायक)	2658/3.11.14	300	किराया दिनांक 1.10.14 से 31.10.14 तक

10 नियमानुसार क्रय न किए जाने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में एक प्रकार की वस्तुओं का क्रय तीन चार दिनों के भीतर विभाजित करके किया गया था, ताकि क्रय हेतु आवश्यक निविदाएं एकत्रित/आमन्त्रित करने सम्बन्धी औपचारिकताओं (Codal Formalities) पूरा करने से बचा जा सके तथा बिल/कैश मैमो की ₹3000 से कम रखी जा सके। इस प्रकार इन प्रकरणों में हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग) (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला–171002, दिनांक 12.8.2009 के नियम 97 में दिए गए निर्देशों की सीधे तौर पर अवहेलना है। अतः इस विषय के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों की कढ़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	वा0 सं0	फर्म का विवरण	बिल/ केश मैमों सं0 एवं दिनांक	राशि	क्रय की गई वस्तुएं
1	122	98	इन्द्रजीत इलेक्ट्रीकल, सोलन	437/5.4.2014	800	बिजली फिटिंग्स का सामान
2	–यथोपरि–	99	चौहान इलेक्ट्रीकल, सोलन	5125/8.4.2014	546	–यथोपरि–
3	–यथोपरि–	100	–यथोपरि–	5122/8.4.2014	817	–यथोपरि–
4	–यथोपरि–	101	–यथोपरि–	5115/7.4.2014	759	–यथोपरि–
5	–यथोपरि–	102	–यथोपरि–	5112/5.4.2014	858	–यथोपरि–
				कुल योग	**₹3780**	

11 बिलों/कैश मैमों पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैश मैमों पर हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (रेगुलेशन) डिपार्टमैन्ट, अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला–171002, दिनांक 12.8.2009 के नियम 97 तथा 98 के अनुसार वांन्छित प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जोकि सरकारी निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त नियमों में दिए निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र देकर नियमों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 स्टोर/स्टॉक बारे

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(क) स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों में इन रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों को कई पृष्ठों पर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित

नहीं किया गया था, जोकि उचित नहीं है। स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ इस बारे अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

स्टोर/स्टॉक रजिस्टर	रजिस्टर की पृष्ठ सं0	टिप्पणी
स्टोर आइटमस रजिस्टर	16	प्रविष्टि का सत्यापन नहीं किया गया था
	17	–यथोपरि–
	28	–यथोपरि–

(ख) स्टोर/स्टॉक तथा अन्य विभिन्न रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किया जाना

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है, ताकि संस्थान में प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणित की जा सके तथा संस्थान द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः संस्थान की सभी रोकड़ वहियों, स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज करके तथा उन पर Inventory Number लिखकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verfication) न करवाए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005 शिमला–171002, दिनांक 12.8.2009 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारण (Disposal) किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं तथा मौखिक रूप से स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–साथ इस विषय में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका

इस प्रकार की कोई भी विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्ष

लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्या प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत (1) उप निदेशक जिला कल्याण विभाग, सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेंजे।

(2) अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0 सरकार शिमला–2

(3) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09